

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-5/अ0प्र0-01-02/2019

2434

/पटना दिनांक-10/6/21

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010, पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में दिनांक-28.01.2021 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित वेतनमान में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/गृह जिला	वरीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (30 वर्ष)	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	श्री सुनील दत्त/बेगूसराय	106	02.05.1969	29.07.1989 क.अ.	29.07.2019	वेतन स्तर-12
2	12	श्री सुरेश प्रसाद सिंह/मधुबनी	282	12.05.1958	16.12.1981 क.अ.	11.07.2012 (परीक्षा से उत्तीर्णता में विमुक्ति के कारण)।	पी बी-3, ग्रेड पे-7600
3	13	श्री आनन्द गोपाल/बेगूसराय	283	11.01.1958	10.05.1980 क.अ.	20.03.2014 (परीक्षा से उत्तीर्णता में विमुक्ति के कारण)।	पी बी-3, ग्रेड पे-7600
4	15	श्री श्याम सुन्दर राय/रोहतास	327	31.12.1962	23.02.1988 क.अ.	14.10.2019 (परीक्षा से उत्तीर्णता में विमुक्ति के कारण)।	वेतन स्तर-12
5	18	श्री कृष्णा नन्द पाण्डेय/रोहतास	359	15.02.1958	29.06.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	29.06.2017	वेतन स्तर-13
6	20	श्री पंचानन मुंशी/धनबाद	366	08.10.1957	07.07.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	07.07.2017	वेतन स्तर-13


Ok

8  
4/6/2021

7	23	श्री अमरेन्द्र कुमार ठाकुर/मधुबनी	375	22.02.1959	01.07.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	01.07.2017	वेतन स्तर-13
8	24	श्री अशोक प्रसाद सिंह/वैशाली	377	04.06.1959	29.06.1987 (तदर्थ स.अ.) 28.03.2012	29.06.2017	वेतन स्तर-13
9	44	श्री भवेश प्रसाद तिवारी/खगड़िया	JE 45	20.01.1961	02.01.1988 क.अ.	02.01.2018	वेतन स्तर-12
10	51	श्री छितेश्वर प्रसाद /बलिया	-	07.01.1955	04.04.1981 क.अ.	04.04.2011	पी0बी0-3, ग्रेड पे-7600

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- कंडिका-1 की तालिका के क्रमांक-2 में वर्णित नाम यथा-श्री सुरेश प्रसाद सिंह, गृह जिला-मधुबनी को विभागीय अधिसूचना सं0-5307 दिनांक-26.07.2019 ( क्रमांक-6) के द्वारा दिनांक 16.12.2011 के प्रभाव से दिये गये तृतीय एम0ए0सी0पी0 के लाभ को उक्त तालिका के क्रमांक-2 के स्तंभ-7 के अनुसार संशोधित किया जाता है। उक्त अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं के सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
4/6/2021  
(संजय दूबे)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019 2435

/पटना दिनांक- 10/6/21

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।

  
4/6/2021  
सरकार के विशेष सचिव

